etc. for legal literacy camps, para legal workers' trainings, holding of seminars, production of publicity materials, street plays etc. Apart from various Union Ministries and Departments, the State Governments/Union Territories Administrations, Panchayati Raj Institutions, Districts Rural Development Agencies, Non-Governmental Organisations etc. are actively involved in the publicity of various schemes relating to development of women including Mahila Samriddhi Yojana and laws concerning women. Besides, publicity is also given through Family Counselling Centres, Awareness Generation Programmes, conferences, exhibitions etc. and also through folk song and drama, electronic and print media. Awards have also been introduced for best performance under Mahila Samriddhi Yojana.

(b) Mahila Samriddhi Yojana is being implemented through Department of Posts. Other development schemes relating to rural women are being implemented through the State Governments, Union Territory Administrations, Public Undertakings, Autonomous Bodies, Women Development Corporations, Universities, District Rural Development Agencies and Non-Governmental Organisations.

औद्योगिक मूल्य और लागत ब्यूरो द्वारा मूल्य-निर्धारण के लिए विचारित औषधियां

*45. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक मूल्य और लागत ब्यूरो (बी० आई०सी०पी०) द्वारा किन-किन औषधियों के मूल्य-निर्धारण के लिए लागत अध्ययन किया गया;

(ख) किन औषधियों के मूल्य में वृद्धि करने को उचित और किन औषधियों के मूल्य में वृद्धि करने को अनुचित पाया गया;

(ग) ब्यूरो द्वारा किए गए लागत अध्ययन में औषध निर्माण कंपनियों को मूल लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मुनाफा कमाने की अनुमति दी गई है अथवा लेते हुए पाया गया है; और

(घ) उन प्रपुंज भेषजों का ब्यौरा क्या है जिनके मूल्य निर्धारण के संबंध में लागत अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी, ब्यूरो ने निर्धारित समय-सीमा में नवीन अध्ययन कर सरकार को अपना प्रतिवेदना प्रस्तुत नहीं किया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) वर्ष 1994-95 से लेकर 1996-97 के दौरान उन प्रपुंज औषधों, जिनका बी आई सी पी ने लागत और तकनीकी अध्ययन किया था तथा कीमतों की अनुशंसा की थी, की सूची विवरण के रूप में संलग्न है **(नीचे देखिये)**

(ख) संलग्नक में सूचीकृत औषधों में से बी आई सी पी द्वारा किए गए लागत अध्ययन के आधार पर जिन औषधों के मामलों में कीमत वृद्धि की अनुशंसा की गई थी, उनकी सूची नीचे दी जाती है:—

1. मेबहाइड्रोलाइन नेपाडिसाइलेट
2. टैट्रासाइक्लीन एचसीएल
3. आक्सी-टैट्रासाइक्लीन
4. क्लोराम्फेनीकोल
5. प्रिसेओफुल्विन
6. फ्रामाइस्टीन सल्फेट
7. इफेड्रीन रेसीनेट
8. टेरबूटालीन सल्फेट
9. क्लोरफेनीरामाइन मैलिएट
10. लिग्नोकैन
11. कुनीन सल्फेट
12. कुनीन एचसीएल
13. थेओफीलीन
14. हमीनोफीलीन
15. कैप्टोप्रिल
16. एस्पीरीन
17. नारफलोक्सेसीन
18. आइडो-क्लोरो-हाइड्रोक्सीक्वीनोलीन
19. सल्फामोक्सोल
20. एकोडिआक्सीन एचसीएल
21. डाइमिथाइल-क्लोरो-टैट्रासाइक्लीन
22. एरीथ्रोमाइसीन इस्टोलेट
23. सल्फामेथोक्साजोल
24. सोडियम एस्कोरबेट
25. पायरान्टल पैमोएट

(ग) कीमतों की अनुशंसा करते समय बी आई सी पी को डी पी सी ओ के उपबन्धों द्वारा दिशानिर्देश दिया जाता है, जिसमें कि अनुमत्य लाभ (मार्जिन) विशेष तौर पर दिए गए हैं। डी पी सी ओ, 1987 और डी पी सी ओ, 1995 के अधीन अधिकृत मार्जिन निम्न प्रकार हैं:—

डी०पी०सी०ओ०, 1987:—

(क) कुल जमा पर 14 प्रतिशत का कर उपरान्त कम व अथवा,

(ख) लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत का लाभ, अथवा,

(ग) नए संयंत्र के संबंध में 12 प्रतिशत लाभ की आन्तरिक दर।

डी०पी०सी०ओ०, 1995:—

जहां उत्पादन मूल अवस्था से हैं, केवल उसको छोडकर डीपीसीओ, 1987 के समान ही कुल जमा पर 18 प्रतिशत का कर उपरान्त लाभ अथवा लगाई गई पूंजी पर 26 प्रतिशत लाभ पर विचार किया जाएगा।

(घ) उन प्रपुंज औषधों की सूची जिनके संबंध मे नए अध्ययन किए जाने के बाद बी आई सी पी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, निम्नलिखित हैं:—

1. (क) इफेड्रीन एचसी एल
   (ख) स्यूडो इफेड्रीन
   (ग) इफेड्रीन रेसीनेट
2. थेओफाइलीन
3. बीटामेथासोन
4. रिफैम्पीसीन
5. क्लोक्सेसीलीन सोडियम
6. पेन्सीलीन
   (क) सोडियम पेन्सीलीन-जी
   (ख) प्रोकैन पेन्सीलीन-जी
   (ग) बेंजाथाइन पेन्सीलीन-जी
7. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट
8. आक्सी-टैट्रासाइक्लीन
9. टैट्रासाइक्लीन
10. मेबहाइड्रोलीन नेपाडीसाइलेट
11. फ्रुसेमाइड
12. फेनीरैमाइन मैलिएट
13. विटामिन - ए
14. मेट्रोनिडाजोल

विवरण

क्रमांक	प्रपुंज औषध का नाम जिसके संबंध में विवरण भेजा गया
1.	मेबहाइड्रोलीन मैपेडीसीलेट
2.	टैट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड
3.	आक्सी-टैट्रासाइक्लीन
4.	स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट
5.	नैलीडिक्सिक अम्ल
6.	टीमोलोले मैलिएट
7.	क्लोरैमफेनीकोल
8.	मिथाइलडोपा
9.	मेटाप्रोलोल
10.	डाइ-क्लोफैनेक सोडियम
11.	पोटैशियम पेन्सीलीन जी (प्रथम मणिभ)
12.	बेंजाथीन पेन्सीलीन जी
13.	प्रोकैम पेन्सीलीन जी (पीआरपीजी)
14.	नैप्रोक्सेन
15.	नैप्रोक्सेन सोडियम
16.	ब्रिसेओफुल्विन
17.	डाइ-फनोक्सीलेट हाईड्रोक्लोराइड
18.	मेटा-क्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड
19.	इमोपैरामाइन हाइड्रोक्लोराइड
20.	डाक्सीसाइक्लीन हाइक्लेट
21.	फ्रामाइस्टीन
22.	क्लोफैजामाइन
23.	स्पार्गोनोलैक्टोन
24.	इफेड्राइन रेसीनेट
25.	टेरबूटालीन सल्फेट
26.	क्लोरफेनीरामाइन मैलिएट
27.	एमोक्सीसीलीन ट्राइहाइड्रेट
28.	लिप्रोकैन
29.	सोडियम वैल्प्रोएट
30.	क्लोक्सासीलिन सोडियम
31.	एम्पीसीलीन ट्राइहाइड्रेट
32.	कुनीन सल्फेट
33.	कुनीन एचसीएल
34.	रिफैम्पीसीन
35.	हाइड्रोकोर्टीसोन
36.	हाइड्रोकोर्टीसोन एसीटेट
37.	हाइड्रोकोर्टीसोन रेमीसक्सीनेट
38.	प्रिडनाइसोलोन एसीटेट
39.	प्रिडनाइसोलोन एसीटेट

40. थेओफीलीन
41. नैलीडिक्सिक अम्ल
42. पायरान्टल पामोएट
43. एमीनोफीलीन
44. क्लोरोप्रोपेमाइड
45. बीटामेथासोन अल्कोहल
46. बीटामेथासोन फास्फेट
47. बीटामेथासोन वैल्केट
48. डाइ-आइडो-हाइड्राक्सी कुनीनोलीन
49. क्रिस्टैलीन इन्सुलीन
50. थेओफीलीन
51. पेंटाजोसीन
52. विटामिन-ई
53. इफेड्रीन एचसीएल स्यूडो इफेड्रीन एचसीएल
54. कैफाजोलीन सोडियम
55. फेमोटीडाइन
56. वैरापामिल हाइड्रोक्लोराइड
57. कैफेड्राक्सिल मोनोहाइड्रेट
58. कैप्टोप्रिल
59. सिप्रोफलोक्सेसीन
60. मेफैनेमिक अम्ल
61. फिनाइल बूटाजोन
62. पेंटोक्सीफीलीन
63. सैफोटैक्सीम सोडियम
64. डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन एचसीएल
65. एमोडीक्विन एचसीएल
66. डेक्सामेथासोन शुद्ध (प्योर)
67. डेक्सामेथोसीन डाइ-सोडियम फास्फेट
68. एस्पीरीन
69. लाइनेस्ट्रेनोल
70. इथाइलेस्ट्रेनोल
71. नोरफलोक्सेसीन
72. ग्लिपीजाइड
73. एनैलजीन
74. आईसीएचक्यू. (आईडोक्लोरोहाइड्राक्सी कुनीनोलीन)
75. ट्रीमेथोप्रिम
76. सल्फामोक्सोल
77. सल्फाबूटामोल सल्फेट
78. आइबूप्रोफेन
79. पायरैन्टल पामोएट
80. सल्फामेथोक्साजोल
81. क्लोरोकुनील फास्फेट
82. एमोडियाक्वीन एचसीएल
83. एमनोफाइलीन
84. डिमेथाइक्लोरटैट्रासाइक्लीन क्लोरटैट्रासइक्लीन
85. विटामिन सी प्लेन कोटिड सोडियम एस्कोनबेट
86. एरिथ्रोमाइसीन इस्टोलेट एरिथ्रोमाइसीन स्टीएरेट एरीथ्रोमाइसीन इथाइल सैक्सीनेट
87. रीबोफलाविन-(विटामिन बी०2)

Present Status of Oil Pool Deficit

*46 DR. V. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the country's Oil Pool deficit at present;

(b) the likely deficit in 1997-98; and

(c) the effect of rising Pool deficit on public sector undertakings in oil sector?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) The cumulative oil companies' outstandings are estimated to be around Rs. 15,500 crores as on 31.3.97.

(b) Based ont the estimates of quantities and rates of imported crude oil and petroleum products, quantities of indigenous crude processed etc. as per OEB, the cumulative oil companies' outstandings are estimated to the level of Rs. 24,500 crores as on 31.3.98.

(c) The mounting outstandings have resulted in oil companies experiencing severe cash crunch necessitating them to resort to huge borowings which were around Rs. 22,000 crores as on 31.3.97. As most of the oil companies have already exhausted their working capital limits, additional borrowings of the oil sector will have to be necessarily from the market sources on higher interest rates which would adversely affect their profitability. The stand alone refineries i.e. MRL, CRL etc. have reported that their operations will be adversely affected due to liquidity crisis. It is also going to have an adverse impact on implementation of several critical projects undertaken by the oil industry to meet future demand of petroleum products.